FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

गामू खां बनाम पीरबक ा वगै.

किस्म मुकदमा :–प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटी एक्ट मु.नं. एवं सन 24/15 व 2015/00046

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
31.10.19	पत्रावली पे ा हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। वकील प्रार्थी दिलीप कुमार भार्मा ने बहस भुरू करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की चक 10 केवाईडी ए के मु.न. 157/41 में 17.16 बीघा कृषि भूमि के दायी तरफ नहर है व बांयी तरफ सिचांई विभाग का पक्का खाला है और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। पटवारी रिपोर्ट में भी कोई रास्ता नहीं होने का उल्लेख है अतः प्रार्थी को अप्रार्थीगण के मु.न. 156/48 के कि.न. 5,6,15,16,25 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा रास्ता दिया जावे। बहस के जबाब में वकील अप्रार्थीगण नरेन्द्र गौड ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा मु.न. 157/41 के लिए रास्ता चाहा गया है उसके बांयी तरफ प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि मु.न. 157/33 में कि.न. 19 ता 25 में दर्ज रिकार्ड है। जो कि प्रार्थी के मु.न. 157/41 के चिपती है तथा मु.न. 157/33 मे कि.न. 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा स्वीकृत ुदा रास्ता है। जिसके द्वारा अपनी भूमि में आवागमन करता है अतः प्रार्थी धारा 251 (क) राज. का तकारी अधिनियम के तहत नवीन रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार नहीं है। बहस सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र , प्रस्तुत दस्तावेज, अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थनापत्र, रिपोर्ट पटवारी हल्का मय नजरी नक ाा का गहन अध्ययन व अवलोकन करने तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रार्थी के पास मु.न. 157/41 में आने–जाने हेतु प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी के चिपते मु.न. 157/33 में स्वीकृत ुदा रास्ता उपलब्ध है। अतः प्रार्थी नियमानुसार सिचांई विभाग के पक्के खाले से पुलिया बनाकर मु.न. 157/41 की अपनी खातेदारी भूमि में आना	

	जाना कर सकता है। अतः रास्ते की आत्यन्तिक आव यकता नहीं होने तथा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फै ाल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	